

(भारत के राजपत्र के भाग - 1, खंड - 1 में प्रकाशन के लिए)

सं 20017/02/2016-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी. - ॥ भवन, 'बी'-विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली - 110001,
दिनांक 23 जून, 2017

संकल्प

संख्या 20017/02/2016-रा.भा.(नीति) - भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | प्रधान मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | गृह मंत्री | उपाध्यक्ष |
| 3. | गृह राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय में राजभाषा के प्रभारी) | सदस्य |
| 4. | मानव संसाधन विकास मंत्री | सदस्य |
| 5. | सूचना एवं प्रसारण मंत्री | सदस्य |
| 6. | संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री | सदस्य |
| 7. | रेल मंत्री | सदस्य |
| 8. | विदेश मंत्री | सदस्य |
| 9. | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री | सदस्य |
| 10. | मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश | सदस्य |
| 11. | मुख्य मंत्री, झारखंड | सदस्य |
| 12. | मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश | सदस्य |
| 13. | मुख्य मंत्री, गुजरात | सदस्य |
| 14. | मुख्य मंत्री, तेलंगाना | सदस्य |
| 15. | मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश | सदस्य |
| 16. | उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति | सदस्य |
| 17. | संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति के संयोजक | सदस्य |
| 18. | संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति के संयोजक | सदस्य |



19.	संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
20.	श्री दिलीप कुमार मेधी	सदस्य
21.	श्री तुषार शुक्ल	सदस्य
22.	सुश्री ज़ोहरा अफजल	सदस्य
23.	श्री ए. अरविंदाक्षन	सदस्य
24.	श्री कुन्दन व्यास	सदस्य
25.	श्री गिरीश्वर मिश्र	सदस्य
26.	सुश्री निर्मला जैन	सदस्य
27.	श्री मोहन	सदस्य
28.	श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी	सदस्य
29.	सुश्री प्रतिभा राय	सदस्य
30.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य सचिव

2. यह समिति हिंदी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी काम काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी।
3. अपने काम के निष्पादन में सहायता देने के लिए समिति को आवश्यकतानुसार उपसमितियां नियुक्त करने और अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा।
4. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देने के प्रयोजन से इस समिति को उच्च स्तरीय समिति माना जाएगा।
5. समिति के कार्यकाल की अवधि उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी।
6. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।



डॉ. बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।



डॉ. बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फ़रीदाबाद (हरियाणा)

सेवा में

1. केंद्रीय हिंदी समिति के सभी सदस्य।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को भी सूचनार्थ भिजवा दें।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
7. नीति आयोग, नई दिल्ली।
8. भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
9. लेखा निदेशक (केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन संपर्क (गृह), प्रेस सूचना का कार्यालय, नई दिल्ली। उनसे अनुरोध है कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
16. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव।
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग। उनसे अनुरोध है कि वे इस संकल्प को राजभाषा विभाग कि वेबसाइट पर अपलोड करें।



(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं.20017/02/2016-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एनडीसीसी-II भवन, बी.-विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड़, नई दिल्ली 110001
दिनांक: 20 जुलाई, 2017

शुद्धिपत्र

विषय:- केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन - शुद्धिपत्र ।

संख्या 20017/02/2016-रा.भा.(नीति)- भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन दिनांक 23 जून 2017 को समसंख्यक संकल्प के माध्यम से किया है। उक्त संकल्प दिनांक 01.07.2017 को भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित हुआ है।

2. संकल्प में केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्यों की सूची में क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित "संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री" के स्थान पर "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री" पढ़ा जाए।



डॉ. बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।



डॉ. बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद(हरियाणा)

संख्या-20017/02/2016-रा.भा.(नीति)

दिनांक २० जुलाई, 2017

सेवा में

1. केंद्रीय हिंदी समिति के सभी सदस्य।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को भी सूचनार्थ भिजवा दें।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
7. नीति आयोग, नई दिल्ली।
8. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
9. लेखा निदेशक(केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
12. संसद का पुस्तकालय(15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन संपर्क (गृह), प्रेस सूचना का कार्यालय, नई दिल्ली। इस अनुरोध के साथ कि वह सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।
15. सचिव(राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
16. संयुक्त सचिव(राजभाषा) के निजी सचिव।
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग। उनसे अनुरोध है कि वे इस शुद्धिपत्र को राजभाषा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करें।



(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार